न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	281/2014
GSMS प्रकरण संख्या	2014/01577
वाद दायर दिनांक	07.05.2014
वाद निर्णय दिनांक	06.12.2021

उनवान

.स.	नाम
	सांवरलाल पि.रूपा कुम्हार नि.बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
	गुलाबीकंवर पत्नि सांवरलाल कुम्हार नि.बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादीगण

	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
	राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भीलवाड़ा

- प्रतिवादी गण

उपस्थित वकील वादीगण	वादीगण स्वंय उपस्थित
उपस्थित वकील प्रतिवादी	श्री पैरोकार सरकार उपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 -RTA 1955,111 व 112 भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

वादीगण द्वारा वाद-पत्र माध्यम अधिवक्ता पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि वादीगण को ग्राम भाटीखेड़ा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द मे आ.नं.422 रकबा 3.12 हैक्टर भूमि में से रकबा 0.50 हैक्टर भूमि दिनांक 21.06.2002 को आवन्टन किया जाकर बढते आराजी नम्बर 422/1094 रकबा 0.50 हैक्टर कायम किये गये एंव दिनांक 20.06.2002 को सिपुर्दगीनामा तैयार कर कब्जा दिया तभी से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

ग्राम भाटीखेडा के आ.नं.422 का मूल रकबा 3.12 हैक्टर था जिसमें आवन्टन से इन्तकाल नम्बर 41 दिनांक 03.06.1997 से आ.नं.422/1085 रकबा 1.08 हैक्टर भूमि सज्जनसिंह पुत्र श्री जुवारसिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकार्ड हुई तथा आ.नं.422/1093 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि इन्तकाल नम्बर 118 दिनांक 27.02.2003 से रणजीतसिंह पुत्र हरिसिंह मांगूकंवर पत्नि रणजीतसिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकार्ड हुई और आ.नं.422 रकबा 1.04 हैक्टर भूमि इन्तकाल नम्बर 221 से आ.नं.422 रकबा 1.04 हैक्टर अलोट होकर मूल आराजी नम्बर 422 रकबा 3.12 हैक्टर पूरी ही आवन्टित हुई।

वादीगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से राजस्व कर्मियों ने वादीगण के अलावा अन्य व्यक्तियों को अलोट हुई आ.नं.422/1085,422/1093 व मूल आ.नं.422 तो राजस्व रेकार्ड में तरमीम कर दी लेकिन वादीगण को अलोट हुई आराजी नम्बर 422/1094 को नक्शें में तरमीम नहीं किया गया है। वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में वादीगण को अलोट हुई आराजी नम्बर 422 /1094 मूल आ.नं.422 में ही समाहित है ,वह आम रास्ते से लगी होने से राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम किया जाना कानूनन आवश्यक है जबकि राजस्व जमाबन्दी व केवल [illegible] गिरदावरी में तो वादीगण अलोटशुदा आराजी दर्ज चल रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:18 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की अलोटशुदा आराजी नम्बर 422/1094 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि [illegible] के नक्शा ट्रेस मे तरमीम नहीं होने से गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्राप्त नहीं हो रहा है जिससे वादीगण इस वादपत्र के जरिये नक्शे में तरमीम करवाकर खातेदारी हक की घोषणा कराने का हकदार है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जावे कि वादीगण की अलोटशुदा आ.नं.422 /1094 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि को राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम कर खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक आज्ञप्ति पारित फरमायी जावें।

सहायक कलक्टर {S.D.O.}आसीन्द

6. प्रस्तुत वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी / राजस्थान सरकार के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वादीगण स्वंय व पैरोकार सरकार उपस्थित है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रेषित जवाब –दावा शामिल पत्रावली किया गया है।

7. वाद पत्र एंव जवाबदावा के आधार पर निम्नानुसार तनकी कायम की जाकर तनकी पर्चा स्वीकार किया गया –

तनकी नम्बर -1	आया वादीगण को ग्राम भाटीखेड़ा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द की आ.नं.422 रकबा 3.12 हैक्टर भूमि में से रकबा 0.50 हैक्टर भूमि दिनांक 21.06.2002 को आवन्टित की जाकर बढते आ.नं.422/1094 रकबा 0.50 हैक्टर कायम किये गये एंव वादीगण आवन्टन के समय / कब्जा सिपुर्दगी के समय से ही उक्त आवन्टित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है ? — वादीगण
तनकी नम्बर -2	आया वादीगण के उक्त आवन्टनशुदा आ.नं.422/1094 की नक्शे में तरमीम नहीं की गयी है ? — वादीगण
तनकी नम्बर -3	आया वादीगण उक्त आवन्टित आराजी नम्बर 422/1094 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि में गैर खातेदारी से खातेदारी हक की घोषणा कराने का अधिकारी है ? — वादीगण
तनकी नम्बर -4	आया वादीगण को आवन्टित भूमि आ.नं.422/1094 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि की तरमीम आ.नं.422 में वादीगण के भौतिक रूप से कब्जेशुदा भूमि में की जा सकती है — प्रतिवादीगण
तनकी नम्बर-5	आया उक्त आवन्टित भूमि आ.नं.422/1094 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि की तरमीम आ.नं.422 में की जाने पर किसी अन्य खातेदार / काश्तकार का हित तो प्रभावित नहीं हो रहा है। और यदि हित प्रभावित हो रहा है तो आया उन्हे पक्षकार कायम किया जाना उचित है ? —प्रतिवादी
तनकी नम्बर -6	अनुतोष ?

8. वकील वादीगण द्वारा वाद-पत्र के समर्थन मे निम्न गवाहान के बयान कलमबद्ध करवाये तथा निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये

नाम गवाह / दस्तावेजात	PW / EXP	दिनांक
नक्शा ट्रेस दिनांक 1.1.2014	EXP -1	05.04.2021
जमाबन्दी ग्राम भाटीखेड़ा संवत 2068-71	EXP-2	05.04.2021
आवन्टन प्रार्थना पत्र	EXP-3	05.04.2021
कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवन्टन आदेश (सांवरलाल वगैरह)	EXP-4	05.04.2021
सिपुर्दगीनामा	EXP-5	05.04.2021
नामान्तरण संख्या 119 ग्राम भाटीखेड़ा	EXP-6	05.04.2021
जमाबन्दी ग्राम भाटीखेड़ा संवत 2056-59	EXP-7	05.04.2021
जमाबन्दी ग्राम भाटीखेड़ा संवत 2060-63	EXP-8	05.04.2021
खसरा गिरदावरी (चतुर्थवर्षीय)ग्राम भाटीखेड़ा संवत 2060-63	EXP-9	05.04.2021
खसरा गिरदावरी (चतुर्थवर्षीय)ग्राम भाटीखेड़ा संवत 2068-69	EXP-10	05.04.2021
जमाबन्दी ग्राम भाटीखेड़ा संवत 2052-2055	EXP-11	05.04.2021
कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवन्टन आदेश (सज्जनसिंह)	EXP-12	05.04.2021
बयान गवाह सांवरलाल पुत्र रूपा कुम्हार नि.बराणा	PW-1	05.04.2021
गोविन्द कुमार पि.सुखदेव तेली नि.पालड़ी	PW-2	05.04.2021

9. वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण को ग्राम भाटीखेड़ा में आवन्टित भूमि आ.नं.422/1094 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि की वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात तरमीम तहसीलदार आसीन्द द्वारा राजस्व रेकार्ड में करा दी गयी है। ग्राम भाटीखेड़ा के आ.नं.422/1094 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि में खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक आज्ञप्ति जारी की जावें।

10. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है –

तनकी नम्बर -1	प्रार्थीगण ने जमाबन्दी ग्राम भाटीखेड़ा नामान्तरण संख्या 119 भाटीखेड़ा, आवन्टन आदेश की प्रति,सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत किये है जिससे सिद्ध होता है कि वादीगण को ग्राम भाटीखेड़ा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द की आ.नं.422 रकबा 3.12 हैक्टर भूमि में से रकबा 0.50 हैक्टर भूमि दिनांक 21.06.2002 को आवन्टित की जाकर बढते आ.नं.422/1094 रकबा 0.50 हैक्टर कायम किये गये एंव वादीगण आवन्टन के समय / कब्जा सिपुर्दगी के समय से ही उक्त आवन्टित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अतः तनकी नम्बर एक वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।
तनकी नम्बर -2	वादीगण द्वारा नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति दिनांक 01.01.2014 पेश की है जिससे सिद्द होता है कि

सहायक कलक्टर {S.D.O.}आसीन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:18 IST
Reason: SelfAttested

	नक्शा ट्रेस में उक्त आवन्टन की तरमीम नहीं की गयी थी। किन्तु वादीगण एंव गवाह श्री गोविन्द ने अपने बयान में कथन किया तथा वादीगण ने कम्प्यटराईज्ड नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार आसीन्द ने वादपत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद वादीगण के सर्वोत्तम कब्जे के आधार पर हाल नक्शा ट्रेस में वादीगण के कब्जे काश्त वाली भूमि खसरा नम्बर 422/1094 की तरमीम कर दी गयी है। अतः अब तरमीम का कार्य शेष नहीं रहा है। तनकी वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।
तनकी नम्बर -3	वादीगण / आवन्टिती द्वारा ग्राम भाटीखेड़ा के आवन्टित आराजी नम्बर 422/1094 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि पर आवन्टन समय पर कब्जे सिपुर्द किये जाने का सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया गया है तथा कम्प्यूटराईज्ड नक्शा शीट मे हाल मे ही सर्वोत्तम कब्जे के आधार पर तहसीलदार आसीन्द द्वारा तरमीम कार्य किया गया है जिससे सिद्द होता है कि वादीगण का आवन्टित भूमि पर आवन्टन समय से ही कब्जा होकर आदिनांक तक अनवरत जारी है तथा आवन्टिती द्वारा आवन्टन शर्तों की पालना की जा रही है। अतः वादीगण / आवन्टिती आवन्टित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जाने के हकदार है। तनकी नम्बर 3 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।
तनकी नम्बर -4	वादीगण द्वारा कम्प्यटराईज्ड नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें आवन्टित भूमि आ.नं.422/1094 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि की तरमीम आ.नं.422 में वादीगण के भौतिक रूप से काबिज होने से प्रतिवादीगण / तहसीलदार आसीन्द द्वारा कर दी गयी है। अतः तनकी वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।
तनकी नम्बर-5	ग्राम भाटीखेड़ा के आ.नं.422 में वादीगण की भौतिक कब्जेशुदा भूमि पर प्रतिवादी / तहसीलदार आसीन्द द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात सर्वोत्तम कब्जे के आधार पर तरमीम कर दी गयी है जिससे सिद्द होता है कि किसी अन्य खातेदार / काश्तकार के हित प्रभावित नहीं हो रहे है।
तनकी नम्बर -6	सभी तनकियात वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय न्यायहित में उचित समझता है -

—:क्रियात्मक निर्णय :—

अतः वादीगण द्वारा माध्यम अधिवक्ता प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88RTA 1955 व धारा 111,112 LRA 1956 स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण डिक्री किया जाकर निम्नाकिंत कृषि भूमि मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम ग्राम	काश्तकार का विवरण	आ.नं.	कुल रकबा	रकबा जिसमें खातेदार घोषित किया गया
1	भाटीखेड़ा	सांवरलाल पि.रूपा गुलाबीकंवर पत्नि सांवरलाल कुम्हार सा.बराणा खातेदार	422/1094	0.50	सम्पूर्ण
कुल योग			किता 1	0.50	

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 06.12.2021 को "प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 केम्प दौलतगढ़ " में मजमे-आम सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:18 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	281/2014
GSMS प्रकरण संख्या	2014/01577
वाद दायर दिनांक	07.05.2014
वाद निर्णय दिनांक	06.12.2021

उनवान

क्र.सं.	नाम
1	सांवरलाल पि.रूपा कुम्हार नि.बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	गुलाबीकंवर पत्नि सांवरलाल कुम्हार नि.बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— **वादीगण**

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भीलवाड़ा

- **प्रतिवादी गण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA 1955 ,111 व 112 LRA 1956 वादीगण की ओर से अधिवक्ता वादीगण स्वंय उपस्थित तथा प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। इस वाद-पत्र के आज तारीख 06.12.2021 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि –

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम ग्राम	काश्तकार का विवरण	आ.नं.	कुल रकबा	रकबा जिसमें खातेदार घोषित किया गया
1	भाटीखेड़ा	सांवरलाल पि.रूपा गुलाबीकंवर पत्नि सांवरलाल कुम्हार सा.बराणा खातेदार	422/1094	0.50	सम्पूर्ण
कुल योग			किता 1	0.50	

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

इस वाद के खर्चे लेखे ---××××--- रुपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर ---××××---प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ---××××--- द्वारा ---××××---वादी को दिया जावे।

यह आज तारीख ---06.12.2021----- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर आसीन्द (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	4		शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प		
2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	1		अर्जी के लिए स्टाम्प	–	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	12		प्लीडर की फीस	–	
4.रूपयें पर प्लीडर की फीस	–		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–		आदेशिका की तामील	–	
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	1		कमिश्नर की फीस	–	
7. आदेशिका की तामील	–			–	
योग	18		योग	–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा